अनुबंध-I

सीसीआरटी, क्षेत्रीय केंद्र, हैदराबाद में दिनांक 05 से 14 नवम्बर, 2024 तक "प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में विद्यालयों की भूमिका" विषय पर कार्यशाला पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रतिनियुक्त अंतिम/पुष्टिकृत शिक्षको की सूची

क्र.सं.	शिक्षक का नाम	राज्य	दिनांक
1.	पुष्पिंदर ठाकुर	हिमाचल प्रदेश	8 अक्टूबर 2024
2.	सविता चौधरी	राजस्थान	8 अक्टूबर 2024
3.	सैफुद्दीन इदयाक्कल	लक्षद्वीप	10 अक्टूबर 2024
4.	अनवर सैफुद्दीन फैसल	लक्षद्वीप	10 अक्टूबर 2024
5.	अमीना टी	लक्षद्वीप	10 अक्टूबर 2024
6.	एम. एम नज़ीबा इस्माइल	लक्षद्वीप	10 अक्टूबर 2024
7.	एस एम अब्दुल गफूर	लक्षद्वीप	10 अक्टूबर 2024
8.	जवाहिर अली पी.एम	लक्षद्वीप	10 अक्टूबर 2024
9.	नजीमथबी पी.पी	लक्षद्वीप	10 अक्टूबर 2024
10.	अनीसा कांबिलोगे	लक्षद्वीप	10 अक्टूबर 2024
11.	पुष्कर सिंह	उत्तराखंड	14 अक्टूबर 2024
12.	पूजा नेगी	उत्तराखंड	14 अक्टूबर 2024
13.	हरिलाल	हरियाणा	15 अक्टूबर 2024
14.	कांता कुमार	हरियाणा	15 अक्टूबर 2024
15.	कैलाश चंद	हरियाणा	15 अक्टूबर 2024
16.	बलरानी	हरियाणा	15 अक्टूबर 2024
17.	साक्षी	हरियाणा	15 अक्टूबर 2024
18.	विजय कुमार	हरियाणा	15 अक्टूबर 2024
19.	सुधा रानी	हरियाणा	15 अक्टूबर 2024
20.	मनोज कुमार	हरयाणा	15 अक्टूबर 2024
21.	सुभाष कुमार	हरियाणा	15 अक्टूबर 2024
22.	सुरेश कुमार	हरियाणा	15 अक्टूबर 2024
23.	अरुण कुमार	हरियाणा	15 अक्टूबर 2024
24.	संजीव कुमार	हरियाणा	15 अक्टूबर 2024
25.	सरिता	हरियाणा	15 अक्टूबर 2024
26.	प्रमोद कुमार साहू	उत्तराखंड	15 अक्टूबर 2024
27.	रमेश चंद्र त्रिपाठी	उत्तराखंड	15 अक्टूबर 2024
28.	नरेंद्र कुमार पंत	उत्तराखंड	15 अक्टूबर 2024
29.	महेश बाबू सी आर	कर्नाटक	16 अक्टूबर 2024
30.	चिक्कारंगप्पा टी एन	कर्नाटक	16 अक्टूबर 2024

"प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में विद्यालयों की भूमिका" विषय पर कार्यशाला के लिए शिक्षकों की नियुक्ति करते समय कृपया निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाए:

- प्रतिनियुक्त शिक्षकों की आयु 52 वर्ष तक होनी चाहिए। (पंजीकरण के समय जन्म तिथि का प्रमाण देना आवश्यक है।

- कार्यशाला सरकारी/सेवारत कर्मचारियों के लिए है। सहायता प्राप्त स्कूल शिक्षक छठी से बारहवीं कक्षा और भाषा, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, गणित, विज्ञान, संगीत जैसे विषयों को पढ़ाते हैं, न कि शारीरिक शिक्षा, ड्राइंग, कला, एसयूपीडब्ल्यू/डब्ल्यूई, पेंटिंग, शिल्प आदि।
- विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका एवं प्रधानाचार्य को कार्यशाला में भाग लेने के लिए प्रतिनियुक्त नहीं किया जाना चाहिए।
- जो शिक्षक आपके रिकॉर्ड के अनुसार सीसीआरटी द्वारा "प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में स्कूलों की भूमिका" विषय पर आयोजित कार्यशाला में पहले ही भाग ले चुके हैं, उन्हें उसी कार्यशाला के लिए दोबारा प्रतिनियुक्त नहीं किया जाना चाहिए।
- किसी भी संविदा या अस्थायी शिक्षक जैसे शिक्षा-कर्मी, शिक्षा-बंधु, शिक्षा-मित्र, शिक्षा मित्र, शिक्षक फैसिलिटेटर, संविदा शिक्षक आदि की प्रतिनियुक्ति नहीं की जानी चाहिए।
- चूंकि संसाधन व्यक्ति/विशेषज्ञ देश के सभी हिस्सों से भाग लेने वाले शिक्षकों के लाभ के लिए द्विभाषी यानी अंग्रेजी और हिंदी प्रारूप में व्याख्यान देंगे। इसलिए, अंग्रेजी की समझ और कामकाजी ज्ञान आवश्यक है।
- चूंकि काम के घंटे लंबे होंगे और कार्यशाला शिविर के माहौल में आयोजित की जाएगी, इसलिए शिक्षकों का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए।
- कार्यशाला में एक समय में एक स्कूल से केवल एक शिक्षक को भागीदारी के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए।
- प्रतिनियुक्त शिक्षकों को किसी भी परिस्थिति में अपने साथ कोई एस्कॉर्ट/परिवार के सदस्य नहीं लाने के लिए कहा जा सकता है।
- आपका प्रतिनियुक्ति आदेश अंतिम आदेश माना जाएगा और सीसीआरटी व्यक्तियों को कोई चयन पत्र जारी नहीं करेगा।
- सीसीआरटी के साथ पत्राचार के लिए हमारा पत्र संदर्भ संख्या और तारीख अवश्य उद्धृत की जानी चाहिए।

कार्यशाला के पहले दिन पंजीकरण के लिए और कार्यशाला के अंतिम दिन टीए के भुगतान के लिए, प्रतिनियुक्त शिक्षकों को कागज की अलग-अलग शीट पर निम्नलिखित प्रमाण पत्र लाना होगा: -

(i) जन्मतिथि प्रमाण पत्र

(ii) स्कूल से कार्यमुक्ति प्रमाणपत्र

(iii) मूल वेतन प्रमाणपत्र

(iv) दो पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ

(v) रद्द चेक/पासबुक के पहले पन्ने की फोटोकॉपी

(vi) टिकट/टिकट संख्या (आगे की यात्रा की मूल प्रति और वापसी यात्रा की फोटोकॉपी)। यात्रा के लिए पात्र श्रेणी और सबसे छोटे मार्ग के आने-जाने के टिकट खरीदने चाहिए.

इसलिए, यह अनुरोध किया जाता है कि राज्य शिक्षा विभाग और संबंधित कार्यमुक्त प्राधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षक को दिशानिर्देशों को पूरा करना होगा और यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें कार्यमुक्त कर दिया जाएगा और पंजीकृत नहीं किया जाएगा।